FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... नं. ..... 112/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
08-07-24	[illegible] तारीख पेशी देने पर आज [illegible] हुई। वकीलान करिकन [illegible] अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-8-24 को पेश हो।
28-8-24	पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-10-24 को पेश हो।
04.11.2024	दिनांक 14.10.2024 को इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी कोई पक्षकारान् हाजिर अदालत नहीं आये है। अ[illegible] वादीगण मय पक्षकारान की अनुपस्थिती [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:20:35 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)